इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी 2013—फाल्गुन 7, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 4824-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ (क्रमांक १४ सन् २००६) की धारा २ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "४५ दिन" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द "९० दिन" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ (क्रमांक १४ सन् २००६) की धारा २ में, भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ को अपील किए जाने का उपबंध है. ऐसी अपील एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की तारीख से ४५ दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी. ऐसी अपील प्रस्तुत करने के लिए ४५ दिन की कालावधि की परिसीमा कम है, जिससे अपीलार्थियों को कठिनाई हो रही है. अतएव यथोचित् संशोधन द्वारा ९० दिन की परिसीमा की कालावधि विहित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० फरवरी, २०१३.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.